न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वतसिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 143/2008 रा.वा.

उनवान :

1. श्री केशरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत निवासी डाल फौत के बजाय कायम मुकाम वारिश—
   1/1 श्रीमती गुलाबबाई पत्नी केशरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी डाल तहसील सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)।
   1/2 श्री पर्वतसिंह पिता केशरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी डाल तहसील सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)।

—वादीगण

बनाम

1. श्री तख्तसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री मनोहरसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री कल्याणसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री प्रतापसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
5. श्रीमती हमीरीबाई पत्नी किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
6. सभी निवासीयान डाल तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर हाल जिला—सलूम्बर (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील सलुम्बर हाल जिला—सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम
श्री परमानन्द मेहता अधिवक्ता वादीगण,
पेरोकार सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता उपस्थित

कलक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

—::निर्णय::—

दिनांकः—29/01/2025

वादीगण के वाद के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा वेश्मा पटवार हल्का देवगॉव तहसील सलुम्बर के राज़स्व रेकार्ड मे निम्नांकित कृषि भूमि दर्ज है जिसके पुराने आराजी नम्बर 100 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 103 रकबा 2 बिघा, आराजी नम्बर 109 रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 110/2 रकबा 6 बिघा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा है। उक्त भूमि सेटलमेन्ट पुर्व संवत् 2037 से 2040 मे वादी के खाते राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही थी जिसके वर्तमान आराजी नम्बर/रकबा 170/0.29, 171/0.05, 172/0.63, 260/0.11, 261/0.06, 262/0.44, 273/0.43, 276 रकबा 0.64 मे से 0.07, 277/0.82 कुल किता 9 कुल रकबा 3.490 हैक्टेयॅर बने।

उक्त भूमि मे से वादी के खाते 2.90 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिये थी जिसके मुकाबले कोई भूमि वादी के खाते दर्ज नही कर पुराने नम्बरो के बजाय वर्तमान नम्बर पड़े

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी नम्बर 170, 171, 172, 260, 261, 262, 273 कुल किता 7 रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि वर्तमान सेटलमेन्ट मे प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 के पिता व 5 के पति केशरसिंह के खाते दर्ज कर दी व आराजी नम्बर 277 रकबा 0.82 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 276 रकबा 0.64 हैक्टेयर मे से 0.07 हैक्टेयर जो वादी के खाते होनी चाहिये थी जो बिलानाम सरकार कर दी है इस तरह सेटमेन्ट बाद वादी के खाते कोई भूमि दर्ज नही हो वादी की भूमि मे से 2.01 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 के नाम व 0.89 हैक्टेयर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जिसका सेटलमेन्ट अधिकारीयो को कोई अधिकार नही था इसलिये वादी का इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश है। वादी ने माननीय न्यायालय मे धारा 136 काश्तकारी अधिनियम की दरख्वास्त प्रस्तुत की जो वाद लाने के आदेश के साथ पुनः लौटा दी जिस पर वादी का इन्द्राज दुरस्ती का यह वाद पेश है।

वाद वर्णित भूमि गल सेटलमेन्ट मे वादी के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व 5 के पति किशोरसिंह के खाते व कुछ भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है जिसका नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 वादी को बेदखल करने को आमादा हो लडाई झगडा करते है जबरन कब्जा करने की कोशिश करते है जब कि उनका कोई अधिकार नही है मात्र गलत इन्द्राज के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी के खाते भूमि दर्ज हो गई है जिस कारण प्रतिवादीगण वादी को परेशान कर रहा है भूमि गलती से वादी के बजाय प्रतिवादी के खाते दर्ज हुई है उसे पुनः वादी के खाते दर्ज कराने लिये घोषणा खातेदारी हक का यह वाद पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या दो मे वर्णित भूमि मे से प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 तक के खाते दर्ज भूमि व शेष आराजी नम्बर 277 रकबा 0.82 व आराजी नम्बर 276 रकबा 0.64 मेंसे 0.07 हैक्टेयर भूमि दुरस्त फरमा वादी के नाम दर्ज करना फरमावे। तथा उक्त 2.90 हैक्टेयर भूमि वादी की घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड मे वादी के खाते दर्ज करने का आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे की वह वादपत्र के कलम संख्या दो मे वर्णित भूमि मे वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे कोई दखल पैदा न तो करे व ना ही करावे।

वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश मेहता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6, 7 की ओर से पेरोकार सरकार अधिवक्ता श्री सेवीलाल मेहता हाजिर रहे। आदेशिका दिनांक 24–08–2011 को प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

प्रतिवादीगण ने कोई जवाब दावा पेश नही किया इसलिये प्रकरण मे तनकीयात नही कायम की गई। वादी ने अपने वाद की ताईद मे स्वयं बतौर गवाह हाजिर आया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेज पेश कराये–

प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2040
प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल
प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस
प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस
प्रदर्श 5– नक्शा ट्रेस
प्रदर्श–6 नकल प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.राज.अधि.

नायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रदर्श–7 मौका पर्चा
प्रदर्श–8 पटवारी रिपोर्ट
प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी वर्तमान 2060–2063
प्रदर्श 10 नकल जमाबंदी, नकल जमाबंदी पुरानी
प्रदर्श 11 नोटिस 80 जा.दी.
प्रदर्श 12 पोस्ट रसीद

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक ने कोई गवाह एवं साक्ष्य पेश नही कराये। प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से भूमिधारी तहसीलदार सा. सलुम्बर बतोर डी.डब्ल्यु. गवाह मे पेश नही हुए एवं उन्होने प्रदर्श 7 अनुसार दावा की ताईद की।

पत्रावली मे उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस की प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वाद के विरोध मे कोई जवाब पेश नही किया न ही कोई साक्ष्य पेश कराये ना ही वक्त बहस हाजिर आये। वकील वादी ने आगे बहस की कि सेटलमेन्ट विभाग को किसी खातेदार का खाता निरस्त करने का अथवा खाते की भूमि बिलानाम सरकार करने का अथवा अन्य प्रकार का परिवर्तन करने का कानून मे कोई अधिकार प्राप्त नही है सेटलमेन्ट विभाग 3 परिस्थिति मे खाते मे परिवर्तन कर सकता है पहला विरासत से दूसरा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से तीसरा न्यायालय की डिक्री के इसके अलावा राजस्व रेकार्ड मे पूर्व से चली आ रही प्रविष्ठीया बदलने का अधिकार नही है। अत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 तक के खाते दर्ज भूमि व शेष आराजी नम्बर 277 रकबा 0.82 व आराजी नम्बर 276 रकवा 0.64 मेंसे 0.07 हैक्टेयर भूमि दुरस्त फरमा वादी के नाम दर्ज करना फरमावे।

पेरोकार सरकार ने बहस मे प्रदर्श 7 रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तथा माफिक रिपोर्ट इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का कथन किया।

अतः वादीगण के उक्त वादपत्र की पुरी पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गवाहन के कथनो एवं वादपत्र ध्यानपूर्वक पढने के बाद मै नतीजे पर पहूँचा हूँ कि वादी वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट पूर्व ग्राम वेश्मा की जमाबंदी संवत् 2037 से 40 के खाता संख्या 11 के आराजी नम्बर 100 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा, आ.नं. 103 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 109 रकबा 2 बिघा 14 बिस्वा, आ.नं. 110/2 रकबा 6 बिघा 3 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा भूमि वादी श्री केशरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत धुलावत के नाम पर खातेदारी के रूप मे खाते दर्ज थी जिसे सेटलमेन्ट के बाद राजस्व रेकार्ड मे पूर्व से चली आ रही प्रविष्ठीया दोहरानी थी। उक्त साबिक आराजी से बने हाल आराजी नम्बर 260/0.11, 261/0.06, 262/0.44, 273/0.43, 172/0.63, 170/0.29, 171/0.05 कुल किता 7 रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते दर्ज है तथा आ.नं. 277 रकबा 0.82, आ.नं. 276 रकबा 0.64 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज अंकित है जो रिकॉर्ड अवलोकन से त्रुटिपूर्ण होना जाहिर होता है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रदर्श 7 से होती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के साबिक आराजी नम्बर 100, 103, 109, 110/2 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा के हाल मौजा वेश्मा जमाबंदी संवत् 2060 से 63 के खाता संख्या 16 मेंसे आराजी नम्बर 260/0.11, 261/0.06, 262/0.44, 273/0.43, 172/0.63, 170/0.29, 171/0.05 कुल किता 7 रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि व बिलानाम आराजी नम्बर 277 रकबा 0.82 हैक्टेयर व आराजी नम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

276 रकबा 0.64 हैक्टेयर मेसे 0.07 हैक्टेयर कुल 0.89 हैक्टेयर अर्थात कुल कित्ता 9 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि हाल राजस्व रेकार्ड मे शुद्धि कर वादी के खाते दर्ज किये जाने एवं वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी नम्बर 276 का शेष रकबा 0.57 हैक्टेयर बिलानाम खाते से कम कर प्रतिवादीगण के खाते शुद्धि कर किशोरसिंहं पिता रतनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते दर्ज करने एवं खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें एवं माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से बनाया जावे एवं डिक्री की पालना करने अपील की अवधि समाप्त होने के बाद तहसीलदार सलुम्बर को लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), सलुम्बर

बईजलास पर्वतसिंह चूण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 143/2008 रा.वा.

उनवान

1. श्री केशरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत निवासी डाल फौत के बजाय कायम मुकाम वारिश–
   1/1 श्रीमती गुलाबबाई पत्नी केशरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी डाल तहसील सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)।
   1/2 श्री पर्वतसिंह पिता केशरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी डाल तहसील सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)।

:

बनाम —वादीगण

1. श्री तख्तसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री मनोहरसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री कल्याणसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री प्रतापसिंह पिता किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
5. श्रीमती हमीरीबाई पत्नी किशोरसिंह राजपुत उम्र बालिग
6. सभी निवासीयान डाल तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर हाल जिला–सलूम्बर (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील सलुम्बर हाल जिला–सलूम्बर।

:

—प्रतिवादीगण

दिनांक:- 29/01/2025

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री परमानन्द मेहता एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 की ओर से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता की उपस्थिति में इस वाद में अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि वादी के साबिक आराजी नम्बर 100, 103, 109, 110/2 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा के हाल मौजा वेश्मा जमाबंदी संवत् 2060 से 63 के खाता संख्या 16 मेंसे आराजी नम्बर 260/0.11, 261/0.06, 262/0.44, 273/0.43, 172/0.63, 170/0.29, 171/0.05 कुल किता 7 रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि व बिलानाम आराजी नम्बर 277 रकबा 0.82 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 276 रकबा 0.64 हैक्टेयर मेसे 0.07 हैक्टेयर कुल 0.89 हैक्टेयर अर्थात कुल किता 9 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि हाल राजस्व रेकार्ड मे शुद्धि कर वादी के खाते दर्ज किये जाने एवं वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी नम्बर 276 का शेष रकबा 0.57 हैक्टेयर बिलानाम खाते से कम कर प्रतिवादीगण के खाते शुद्धि कर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

किशोरसिंह पिता रतनसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खाते दर्ज करने एवं खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश दिया जाता है। अपील की अवधि समाप्त होने के बाद डिक्री अनुसार पालनार्थ तहसीलदार सलुम्बर को लिखा जावे।

खर्चा मुकदमा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 29/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर (जिला सलूम्बर) (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलुम्बर
जिला सलूम्बर